Legal Express An International Journal Of Law ISSN 2394-465X
Vol.I, Issue-I November 2014

राजभाषा हिन्दी संबंधी संवैधानिक उपबन्ध – एक परिचय

डॉ. ममता कदम (अतिथि विद्वान)
शासकीय महाविद्यालय मेहगाँव जिला–भिण्ड
एम.ए., (नेट), पीएच.डी. (हिन्दी), एलएल.एम.

संभवतः विश्व के किसी भी देश के संविधान में राजभाषा के संबंध में इतना विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता जितना भारत के संविधान में हिन्दी राजभाषा के संबंध में मिलता है। संसद की भाषा से लेकर राज्यों की स्थानीय सरकारों की भाषा तक के बारे में संविधान स्पष्ट उल्लेख और विवरण दिया है। ''भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा जनतान्त्रिक बहुभाषी देश है। यद्यपि भारत में अनेक बोलियाँ हैं तथापि संविधान से मान्यता प्राप्त 14 भाषाएँ थीं; जो आगे चल कर यह संख्या 22 हो गई।

संविधान के निर्माताओं के सामने भाषाओं के कारण विशेष समस्या आई क्योंकि इस देश की विशाल जनसंख्या अनेक भाषाएँ बोलती है 1652 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं जिनमें से 63 भाषाएं गैर भारतीय हैं। संघ की राजभाषा हिन्दी है और इसकी लिपि देवनागरी है। इस राजभाषा में अन्य भारतीय भाषाओं से तथा विशेष रूप से संस्कृत के शब्दों को लेने की पूरी छूट है संविधान में हिन्दी के प्रचार प्रसार विकास और संवर्द्धन की तो व्यवस्था है किन्तु सहभाषा के रूप में नियत कालावधि तक स्वीकृत अंग्रेजी के विकास प्रचार प्रसार या समृद्धि का कोई संकेत नहीं है।''

''संविधान निर्माताओं ने तात्कालिक कार्य संचालन के लिये अंग्रेजी को सहभाषा का दर्जा देते हुये भी उसके संवर्द्धन के लिये किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान संविधान में नहीं किया प्रत्युत् आशा यह की गयी थी कि सन् 1965 तक हिन्दी सम्पूर्ण राष्ट्र में राजभाषा का उपयुक्त स्थान ग्रहण कर लेगी और अंग्रेजी के सहयोग की उसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

संविधान निर्माताओं की दृष्टि हिन्दी (राजभाषा), अंग्रेजी और प्रादेशिक मात्र भाषाओं के सम्बन्ध में अत्यन्त स्वच्छ एवं स्पष्ट थी। उनकी मान्यता थी अंग्रेजी विदेशी भाषा है और यह कभी भी राष्ट्र की सर्वमान्य और लोकप्रिय भाषा नहीं हो सकती। लगभग 65 वर्षों का इतिहास बतलाता है कि शासकों ने संविधान की उपेक्षा की है। राज भाषा और राष्ट्रभाषा को उचित स्थान न मिल पाया इसके विपरीत अंग्रेजी का प्रभुत्व बढ़ने लगा अंग्रेजी के प्रचार के साथ अंग्रेजियत का भी हमारे देश में प्रचार हुआ। अंग्रेजियत एक संस्कृति है, एक संस्कार है जो भारतीय जनता को बड़े आकर्षण के साथ आधुनिकता और विज्ञान के नाम पर सिखाया जा रहा है। अंग्रेज, अंग्रेजी और अंग्रेजियत इन तीनों में सबसे अधिक घातक भारतीय जनता के लिए अंग्रेजियत ही है जो हमारे जातीय संस्कार और राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुँचा कर हमें अस्मिता शून्य बनाने में सक्रिय है। महात्मा गाँधी इसलिये अंग्रेजियत तथा अंग्रेजी को भारत से बहिष्कृत करना चाहते थे। वे जानते थे कि यदि अंग्रेजो के भारत से विदा होने के बाद अंग्रेजी और अंग्रेजियत यहाँ बनी रही तो हमारे देश में स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वदेशाभिमान कभी उत्पन्न नहीं हो सकेगा।''

संविधान के निर्माताओं को शासकीय पत्राचार के माध्यम के रूप में इनमें से कुछ भाषाओं को चुनना था जिससे कि देश में अनावश्यक भ्रम न रहे। यह सौभाग्य की बात है कि इन 1652 भाषाओं को

बोलने वाले समान अनुपात में नहीं थे और 18[1] भाषाएं जिन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, भारत की प्रमुख भाषाओं के रूप में सरलता से चुनी जा सकीं। ये भाषाएं देश की जनसंख्या के 91 प्रतिशत लोग प्रयोग करते हैं। इनमें से हिन्दी यह दावा कर सकती है कि 46 प्रतिशत लोग उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ हिन्दी में उर्दू और हिंदुस्तानी भी सम्मिलित है। अतएव हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में विहित किया गया (15 वर्ष की सीमित अवधि तक इसी प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के चलते रहने का उपबंध किया गया) और यह सिफारिश की गई कि हिन्दी का विकास इस प्रकार किया जाए कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसमें 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों को आत्मसात किया जाए {अनुच्छेद 351}।

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए एक भाषा विहित की गई है किंतु प्रादेशिक भाषाई समूहों की सुविधा के लिए संविधान के निर्माताओं ने राज्य विधान मंडलों {अनुच्छेद 345} और राष्ट्रपति {अनुच्छेद 347} को हिन्दी से भिन्न एक या अधिक भाषाओं को राज्यों के शासकीय व्यवहार में प्रयोग के लिए मान्यता देने की अनुज्ञा दी। यह उपबन्ध राज्य के विधान मंडल के बहुमत के या राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त अनुभाग के इस अधिकार को मान्यता देते हैं कि वे अपने द्वारा बोली जानी वाली भाषा को राज्य के भीतर शासकीय प्रयोजनों के लिए मान्यता दिलाएं।

अ– संघ की राजभाषा नीति

संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतराष्ट्रीय रूप है। {संविधान का अनुच्छेद 343 (1)}

परन्तु हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता हैं। (राजभाषा अधिनियम की धारा 3)

संसद का कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। परन्तु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। {संविधान का अनुच्छेद 120}

किन प्रयोजनों के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

भारत के संविधान भाग 5 (120), भाग 6 (210) और राजभाषा संबंधित भाग 17

भाग 5 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद् में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

2. जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो ''या अंग्रेजी में'' शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

भाग 6– अनुच्छेद 210 विधान–मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। (यह अनुच्छेद जम्मूकश्मीर पर लागू नहीं है।)

2. जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो ''या अंग्रेजी में'' शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। परंतु हिमाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले ''पंद्रह वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''पच्चीस वर्ष'' शब्द रख दिए गए हों। परंतु यह और कि अरूणाचल प्रदेश गोवा और मिजोरम राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले ''पंद्रह वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''चालीस वर्ष'' शब्द रख दिए गए हों।

भाग 17[1] संघ की भाषा अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा

1. संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।
3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद् उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा
   (क) अंग्रेजी भाषा का, या
   (ख) अंकों के देवनागरी रूप का,
   ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में

---

[1] इस भाग के उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य को केवल वहीं तक लागू होंगे जहां तक कि वेः–
   i. संघ की राजभाषा
   ii. एक राज्य दूसरे राज्य के बीच अथवा किसी राज्य और संघ के बीच संचार की राजभाषा, और
   iii. उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहियों की भाषा से संबंधित है।

विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को–

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धनों;

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा;

(घ) संघ के एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप;

(ड़) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

3. खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।
4. एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धित के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।
6. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

प्रादेशिक भाषाएँ–

अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ

345 अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। परंतु जब तक राज्य का विधान–मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी। परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए।

उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक–

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी,

(ख) (i) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल[2] द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के,

(iii) इस संविधान के अधीन या संसद या किसी राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले या बनाए गए सभी आदेशों नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

2. खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (1) अ में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

349 इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए

[2] ''राज्यपाल या राजप्रमुख'' संविधान (सप्तम् संशोधन) अधिनियम, 1956, धारा 29 और अनुसूची द्वारा विलुप्त कर दिए गए।

जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा अन्यथा नहीं।

विशेष निर्देश

अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

1. भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।
2. विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351 हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश

351 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

अष्टम अनुसूची {अनुच्छेद 344 (1) और 351}

1. असमिया, 2. उड़िया, 3. उर्दू, 4. कन्नड़, 5. कश्मीरी, 6. गुजराती, 7. तमिल, 8. तेलगु, 9. पंजाबी,10. बंगला, 11. मराठी, 12. मलयालम, 13. संस्कृत, 14. सिन्धी, 15. हिन्दी, 16. मणिपुरी, 17. नेपाली, 18. कोंकणी, 19. मैथली, 20. संथाली, 21. बोर्डो, 22. डोंगरी

इसलिये यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि राजभाषा के सम्मान और विकास के लिये समय पर परिस्थितियों के अनुरूप सरकार को निरंतर नये नियम बनाना चाहिए एवं पुराने नियमों में समय–समय पर यथोचित संशोधन कर राजभाषा के विकास के लिये नई योजना बनाकर इसे बढ़ावा देने हेतु आवश्यक आदेश अनुदेश जारी करती रहे। साथ ही इसका आधुनिकीकरण भी होता रहे तभी राजभाषा हिन्दी अपने पद पर रह कर विकसित हो पायेगी वरना धीरे–धीरे यह कमजोर होकर पुनः अपना अस्तित्व खोना शुरु कर देगी। जब तक राजभाषा का विकास नहीं होगा। तब तक राष्ट्र का विकास भी अधूरा ही रहेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. **डॉ. जयनारायण पाण्डेय –** भारतीय संविधान पृ.क्र.622,623
2. **आचार्य डॉ. दुर्गा दास बसु –** भारत का संविधान एक परिचय पृ.क्र.403,404
3. **डॉ. कुमार वीरेन्द्र सिंह –** परीक्षा मंथन सामन्य हिन्दी अतिरिक्तांक–3, पृ.क्र.18,19,20
4. डॉ. **महेन्द्रनाथ दुबे** एवं डॉ. **मीनाक्षी दुबे** – राष्ट्रभाषा और राजभाषा के संदर्भ में **'प्रशासनिक हिन्दी'**
5. **राजभाषा विभाग की वेबसाइट** India, *available at:*
   - *http:rajbhasha.gov.in* (Last Modified July 31, 2014)